



सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

प्रलिस के लयः

सामुदायिक वन संसाधन, आरक्षति वन, संरक्षति वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ।

मेन्स के लयः

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और मान्यता का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले के चार गाँवों के नवासियों को [सामुदायिक वन संसाधन अधिकार \(CFRR\)](#) प्राप्त हुआ है ।

- धमतरी ज़िले में उदंती- सीतानदी [टाइगर रज़िर्व](#) के बाद अचानकमार CFRR प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का दूसरा बाघ अभयारण्य बन गया ।

सामुदायिक वन संसाधन

- सामुदायिक वन संसाधन (CFR) क्षेत्र सामान्य वन भूमि है जसि कसिी वशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लयि पारंपरिक रूप से आरक्षति और संरक्षति कयिा गया है ।
- समुदाय द्वारा इसका उपयोग गाँव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच एवं ग्रामीण समुदायों के मामले में परदृश्य के मौसमी उपयोग के लयि कयिा जाता है ।
- प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गाँवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है ।
- इसमें कसिी भी श्रेणी के वन - राजस्व वन, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, डीम्ड वन, ज़िला समति भूमि (DLC), आरक्षति वन, **संरक्षति वन**, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आर्दा शामिल हो सकते हैं ।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकारः

- [अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासिी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधनियम \(आमतौर पर वन अधिकार अधनियम या FRA के रूप में संदर्भति\), 2006](#) की धारा 3 (1)(i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनोंको "संरक्षण, पुनः उत्पन्न या संरक्षति या प्रबंधति" करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं ।
- ये अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लयि स्वयं और दूसरों के लयि नयिम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत अपनी ज़मिेदारियों का नरिवहन करते हैं ।
- CFR अधिकार, धारा 3 (1)(b) और 3(1)(c) के तहत सामुदायिक अधिकारों (CR) के साथ,** जसिमें नसितार अधिकार (रयिासतों या ज़मीेदारी आर्दा में पूर्व उपयोग कयि जाने वाले) और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनश्चति करते हैं ।
- एक बार जब CFRR को कसिी समुदाय के लयि मान्यता दी जाती है, तो वन का स्वामतित्व वन वभिाग के बजाय ग्राम सभा केनयित्रण में आ जाता है ।**
- प्रभावी रूप से [ग्राम सभा](#) वनों के प्रबंधन के लयि नोडल नकिया बन जाती है ।
- ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं ।
- छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जसिने राष्ट्रीय उद्यान यानी [कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान](#) के अंदर CFRR अधिकारों को मान्यता दी है ।
- वर्ष 2016 में ओडशा सरकार ने सर्वप्रथम, [समिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान](#) के अंदर **सामुदायिक वन संसाधनों (CFR)** को मान्यता प्रदान की थी ।

सामुदायिक वन संसाधनों (CFR) का महत्त्वः

- वनों पर इन समुदायों के प्रथागत अधिकारों में कटौती के कारण वन-आशरति समुदायों के साथ हुए "ऐतहासिक अन्याय" की भूल को सुधारने के उद्देश्य

से वर्ष 2008 में वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act-FRA) में लागू हुआ।

- यह समुदाय के कानूनी रूप से वन भूमि को धारण करने व शेष रूप से जसि इन समुदायों ने खेती और नविस के लिये उपयोग किया है, वन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन तथा संरक्षण के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।
- यह वनों की स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण में वनवासियों की अभिन्न भूमिका को भी रेखांकित करता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों जैसे संरक्षित वनों के अंदर इसका अधिक महत्त्व है क्योंकि पारंपरिक नवासी अपने ज्ञान का उपयोग कर संरक्षित वनों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय मामलों के मंत्रालय

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जसि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वन संसाधनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- अधिनियम में खेती और नविस जो आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में होते हैं; और सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना एवं जंगलों में जल नकियाँ तक पहुँच, व शेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) के लिये आवास अधिकार आदि के अधिकार शामिल हैं।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और नपिटान अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता के अधिकार के संयोजन के साथ, FRA आदिवासी आबादी को पुनर्वास और उनके लिये उचित बंदोबस्त के बनि बेदखली से रक्षा करता है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू किया जाता है।
- अतः विकल्प (d) सही है।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/community-forest-resource-rights>